



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

01 नफर जिला बदर अभियुक्त गिरफ्तार

जनपद सीतापुर में अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु एवम् वांछित अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही व गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा निरंतर प्रभावी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के आदेश के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी महोदय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी बिसवां के नेतृत्व में दिनांक 10.11.2020 को बिसवां पुलिस ने जिला बदर अभियुक्त मनीष पुत्र रमेश निवासी ग्राम हुलासपुरवा थाना बिसवां जिला सीतापुर को ग्राम हुलासपुरवा के पास से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जिसके कब्जे से 1 तमंचा व 1 कारतूस बरामद हुआ है। जिला मजिस्ट्रेट महोदय सीतापुर द्वारा अभियुक्त मनीष उपरोक्त को दिनांक 17.10.2020 से जिला बदर घोषित किया गया था। इस संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 573/2020 धारा 25(1-B) शस्त्र अधिनियम तथा मु0अ0सं0 574/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम पंजीकृत कर मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 573/2020 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना बिसवां सीतापुर
2. मु0अ0सं0 574/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर

अभियुक्त का नाम/पता- मनीष पुत्र रमेश निवासी ग्राम हुलासपुरवा थाना बिसवां जिला सीतापुर

पुलिस टीम -1.उप निरीक्षक श्री रामेश्वर सिंह 2.का0 विजय यादव

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 239/18 धारा 354/323/342/376डी भादवि थाना बिसवां, सीतापुर
2. मु0अ0सं0 573/2020 धारा 25(1-B) आर्म्स एक्ट थाना बिसवां सीतापुर
3. मु0अ0सं0 574/2020 धारा 10 यूपी गुंडा निवारण अधिनियम थाना बिसवां सीतापुर